(70)

# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 08/2019/प्रा.पत्र/2019 | 08.03.2019 | 02.08.2019 |

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1– श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री सुगन चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स पाटनी एण्ड सन्स बालाजी बावडी मन्दिर के सामने सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स पाटनी एण्ड सन्स बालाजी बावडी मन्दिर के सामने सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

3–श्री दौलत कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स दौलत कुमार संजय कुमार जैन बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0

4– मैसर्स दौलत कुमार संजय कुमार जैन बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0

5–श्री किशन चन्द सिन्धी पुत्र छुट्टन दास प्रोपरायटर मैसर्स किशन फलोर मिल नाई खेडा रोड केकडी जिला अजमेर निवासी तेली मोहल्ला केकडी जिला अजमेर राज0

...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 02.08.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.12.2018 को समय 3.39 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पाटनी एण्ड सन्स बालाजी बावडी मन्दिर के सामने सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री सुगन चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स पाटनी एण्ड सन्स बालाजी बावडी मन्दिर के सामने सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)** जिसके बैच नं. व पैकिंग दिनांक अंकित नही थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री विनोद कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विनोद कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 ग्राम के 19 नग **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)**मे से 4 नग कुल वनज 2.0 किलोग्राम को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री विनोद कुमार जैन को रू0 64/–अक्षरे चोसठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट**
**टोंक** 882

अतिरिक्त जिला ... टोंक

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)** 500–500 के 4 नग को ज्यो का त्यो को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2050 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2050 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. विनोद कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री विनोद कुमार जैन ने मौके पर **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)** बतोर वारन्टी मैसर्स दौलत कुमार संजय कुमार जैन बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 का बिल कमांक/ इन्वॉइस नं. 7856 दिनांक 26.12.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स दौलत कुमार संजय कुमार जैन बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 ने मैसर्स किशन फलोर मिल नाई खेडा रोड केकडी जिला अजमेर निवासी तेली मोहल्ला केकडी-जिला अजमेर राज0 के वारंटी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./19/348 दिनांक 06.02.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2395/एक्ट/2018/48 दिनांक 09.01.2019 अनुसार विनोद कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)** का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मैदा कलश ब्रॉड मूल पैक (Maida Kalash Brand Original Pack)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
883

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के विरुद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री विनोद कुमार जैन पुत्र श्री सुगन चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स पाटनी एण्ड सन्स बालाजी बावडी मन्दिर के सामने सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0पर शास्ती 2,000/— (अक्षरे दो हजार रू0) अप्रार्थी श्री दौलत कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स दौलत कुमार संजय कुमार जैन बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री किशन चन्द सिन्धी पुत्र छुट्टन दास प्रोपरायटर मैसर्स किशन फलोर मिल नाई खेडा रोड केकडी जिला अजमेर निवासी तेली मोहल्ला केकडी जिला अजमेर राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक–राज0



Scanned by CamScanner